न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 95 / 2022
महाबीर पुत्र बृजलाल, जाति गोस्वामी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

अपील संख्या 96 / 2022
हरचन्द पुत्र बूजाराम, जाति गोस्वामी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

अपील संख्या 105 / 2022
भीमसिंह पुत्र रिसालसिंह, जाति गोस्वामी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

अपील संख्या 110 / 2022
विजयसिंह पुत्र मोतीराम, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

अपील संख्या 111 / 2022
दारासिंह पुत्र मोतीराम, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

अपील संख्या 114 / 2022
बनवारी पुत्र महादाराम, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

अपील संख्या 118 / 2022
लक्ष्मी पत्नि विजेन्द्र, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

अपील संख्या 122 / 2022
राजेश पुत्र रूघवीर, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

अपील संख्या 123 / 2022
सुनील पुत्र रूघवीर, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
—— रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अ0 सेक्शन 75 (1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश दिनांकित 10.09.2021 न्यायालय तहसीलदार चिडावा बमुकदमा [illegible]र, मुकदमा नम्बर 40 / 2021, उनवानी सरकार बनाम हरचन्द, मुकदमा नम्बर 34 / 2021 [illegible] सरकार बनाम भीमसिंह, मुकदमा नम्बर 38 / 2021, उनवानी सरकार बनाम विजय[illegible] [illegible] सरकार बनाम दारासिंह, मुकदमा नम्बर 46 / 2021, उनवानी सरक[illegible] नम्बर 29 / 2021, उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मी, मुकदमा नम्बर 28 / 2021, [illegible] राजेश, मुकदमा नम्बर 3[illegible]1, उनवानी सरकार बनाम सुनील, मुकदमा नम्बर 30 / 2021, समस्त मुक[illegible] मे किस्म मुकदमा धारा [illegible]0आर0एक्ट 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.23 11:23:16 IST
Reason: SelfAttested

——

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उपस्थितः–
1. श्री विजयपाल सिंह तृतीय, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 25.08.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीलें तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 10.09.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं स्थगन के पेश की गई है। उक्त अपीलों मे प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीले अपीलान्ट्स निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के द्वारा उक्त मुकदमो में पारित निर्णय दिनांकित 10.09.2021 विरूद्व कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु व जवाब हेतु तारीख दिनांक क्रमशः 30.06.2021, 03.09.2021, 28.07.2021, 06.09.2021 की नियत की जिस पर अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत में हाजिर होकर जवाब हेतु प्रार्थना पत्र पेशकर अवसर चाहा जो शामिल मिसल किया गया। परन्तु अदालत मातहत ने दिनांक क्रमशः 30.06.2021, 03.09.2021, 28.07.2021, 06.09.2021 को आईन्दा तारीख पेशी के बारे में अवगत नही करवाया व अदालत मातहत ने बाला–बाला ही दिनांक 10.09.2021 को अपीलान्ट्स की गैरहाजिरी दिखाकर उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अपीलान्ट्स को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नही दिया ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया हैं जबकि जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलान्ट्स का मुख्य अधिकार था जिसे अदालत मातहत ने दिनांक 10.09.2021 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। इसलिए अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स .को उसके पक्ष में मूलभूत जवाब व साक्ष्य पेश करने का मौका व अवसर नही देकर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय दिनांकित 10.09.2021 पारित करते वक्त अदालत मातहत की पत्रावली पर सही ढंग से अपना माईण्ड अप्लाई नही किया और मामला हाजा पर सही ढंग से गौर नही फरमाया जबकि योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट/गैरसायल को ग्राम नूनिया गोठड़ा के खसरा नम्बर 159 कुल रकबा 2.53 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से क्रमशः 300, 400, 255, 660, 660, 1750, 540, 475 एवं 810 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट्स का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्ट्स के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है तथा उक्त अतिक्रमी भाग भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्ट कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त अतिक्रमी भाग का नियमन बहक अपीलान्ट्स किये जाने हेतु नियमन कमेटी के समक्ष मामला हाजा को प्रस्तुत करने की सिफारिश नही कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत में दिनांक 10.09.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने [illegible] प्रस्तुत नही की जिस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का [illegible] करने से वंचित होना पड़ा जिसकी वजह से अपीलान्ट्स को न्याय प्राप्त [illegible] ने कानून के मूलभूत सिद्धांन्तों का उल्लघंन कर उतावलेपन में उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 10.09.2021 पारित कर दिया। उक्त निर्णय विधि विरूद्ध व कानून के मूलभूत सिद्धान्तो के खिलाफ है व प्राकृतिक कानून के मूलभूत सिद्धान्तो का उल्लघंन हुआ है। अदालत मातहत [illegible] पत्रावली पर अगर सही ढंग से गौर फरमाया जाता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही अवैध साबित होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.23 11:23:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

है क्योकि अदालत मातहत ने अपने उक्त निर्णय में यह मानकर बहुत बडी कानूनी भूल की है की उक्त अतिक्रमी भाग किस्म गै0मु0 जोहड का बहक अपीलान्ट कानूनन नियमन नही किया जा सकता था। जबकि गै0मु0 जोहड भूमि का पुराने कब्जे के आधार पर भूमि का नियमन किये जाने मे कानून मे व पट्टा जारी करने में कोई रूकावट नही है। उक्त अतिक्रमी भाग भूमि पर अपीलान्ट्स का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्ट्स व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्ट्स को विद्युत कनेक्शन भी विद्युत विभाग द्वारा दिया गया है जो मौजूदा समय में लगा हुआ है व जल कनेक्शन भी जलदाय विभाग द्वारा दिया गया है जो मौके पर लगा हुआ है व उक्त भूमि का तहसीलदार चिड़ावा द्वारा जारी पट्टा भी अपीलान्ट्स के पास है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा साबित है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण पर सही ढंग से किसी भी प्रकार से तनिक भी गौर नही किया और जान बूझकर आर्बिट्रेरीली उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांकित 10.09.2021 पारित कर दिया। अपीलान्ट्स के द्वारा दायर यह अपील प्रथम ही है जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 75(1) के तहत पेश है। अतः अपीलें अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं के द्वारा बमुकदमा उपर्युक्त उनवानी किस्म मुकदमों मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 10.09.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।

उपर्युक्त नौ प्रकरण एक ही ग्राम, एक ही खसरा नम्बर, एक ही भूमि किस्म होने से उक्त प्रकरणों मे एक साथ बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नही दिया। ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया हैं। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को ग्राम नूनिया गोठड़ा के खसरा नम्बर 159 कुल रकबा 2.53 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से क्रमशः 300, 400, 255, 660, 660, 1750, 540, 475 एवं 810 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट्स का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्ट्स के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है तथा उक्त अतिक्रमी भाग की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्ट्स कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। अदालत मातहत में दिनांक 10.09.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने की बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा। विवादित भूमि के मौके पर अपीलान्ट्स का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्ट्स व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्ट्स को विद्युत व [illegible] भी संबंधित विभाग द्वारा दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स मन्जूर फरमाकर [illegible] अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिडावा के द्वारा बमुकदमा उपर्युक्त उनवानी किस्म मुकदमों मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित [illegible] मय खर्चा खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.23 11:23:16 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 159 कुल रकबा 2.53

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से क्रमशः 300, 400, 255, 660, 660, 1750, 540, 475 एवं 810 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0जोहड की है जिस पर अतिक्रमण करने का अपीलान्ट्स को कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट्स की यह अपीले खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट्स ने ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 159 कुल रकबा 2.53 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से क्रमशः 300, 400, 255, 660, 660, 1750, 540, 475 एवं 810 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0 जोहड की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट्स को गै0मु0जोहड की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट्स की अपीले एक साथ खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2021 यथावत रखा किया जाता है। अपीले खारीज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.23 11:23:16 IST
Reason: SelfAttested